न्यायालय सिविल जज, हरिद्वार।
मूलवाद संख्या – 235/2022
कम्प्यूटर नम्बर – 231/2022
प्रताप सिंह बनाम रामपाल सिंह आदि

1.	प्रस्तुत करने का दिनांक	–	10.08.2022
2.	वाद का प्रकार	–	डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा
3.	वाद का मूल्यांकन	–	80,000/– रू0
4.	वादी अधिवक्ता	–	श्री अजीत बर्मन
5.	प्रतिवादी अधिवक्ता	–	

<u>दिनांक– 10.08.2022</u>

आज यह मूलवाद प्रबंधक आख्या सहित प्राप्त हुआ। वादी अधिवक्ता श्री अजीत बर्मन को सुना गया। आदेश हुआ कि दर्ज रजिस्टर हो तथा प्रतिवादी के विरूद्ध समन वास्ते प्रतिवाद पत्र दिनांक 12.09.2022 तथा वास्ते तनकी हेतु दिनांक 19.09.2022 के लिए जारी हो। वादी पैरवी करे।

(जयश्री राणा)
सिविल जज, हरिद्वार।

पुनश्च– वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 7सी2 मय शपथपत्र कागज सं0 8सी2 अन्तर्गत आ0 39 नियम 01 व 02 व धारा 151 जाफ्ता दीवानी पेश हुआ। प्रार्थना पत्र पर वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत बर्मन को रूप से सुना। न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र पर आदेश करने से पूर्व विपक्षी को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार विपक्षी के विरूद्ध नोटिस वास्ते आपत्ति/निस्तारण अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.08.2022 के लिए द्वारा जारी हो। वादी पैरवी करे।

(जयश्री राणा)
सिविल जज, हरिद्वार।